[Shri S. M. Siddayya]

to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People, Act, 1951."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People Act, 1951".

The motion was adopted.

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): On behalf of Shri Yeshwantrao Chavan, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934."

The motion was adopted.

SHRI K. R. GANESH: I introduce the Bill.

13.42 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

ALLEGED IRREGULARITIES IN FIXING PRICE AND DISTRIBUTION OF YARN

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय आज बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के लाखों बुनकर भुखमरी की छाया में हैं, व्यापार मंत्रालय ने और टैक्स्टाइल कमिश्नर ने सूत का दाम नियन्त्रित करने के मामले में और उसके वितरण के मामले में जो गड़बड़ियां की हैं, उस से भुखमरी का सामना इन बुनकरों को करना पड़ रहा है। इस में केवल अकार्यक्षमता का सवाल नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि उच्चस्तर इस में भ्रष्टाचार और बेईमानी भी दिखाई दे रही है। सरकार के द्वारा सूत और कपड़े के दामो के जो आकड़े सदन के सामने पेश किए गए है वे बिल्कुल विश्वासनीय नही हैं। कभी-कभी कानून से या स्वेच्छा से कुछ कपड़ो के दाम निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इन दामों का और वास्तविक दामों का कोई सम्बन्ध नही रहता है सरकारी सूचकांक इन्हीं फागजी दामों के आधार पर तय किए जाते है।

विगत मई महीने में श्री ए० सी० जार्ज ने संसद को कहा था कि कपड़े के दाम अप्रैल, 1972 से 1973 तक औसत 5.2 प्रतिशत बढ़ गए हैं—यह बिलकुल गलत बयान था। इन आंकडों पर स्वयं वित्त मंत्री जी को भी विश्वास नहीं था इसी लिये वित्त मंत्री जी ने संसद को आश्वासन दिया था कि कपड़े के दाम घटाने को बारे में वे व्यापार मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1971 में रुई के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बाद में वे गिरने लगे जब सूत नियन्त्रण का आदेश जारी किया गया, तब सूत के दाम बीच में बहुत ज्यादा गिरने के बाद कुछ बढ़ने लगे थे। फिर भी 1971 की तुलना में रुई के दाम 28 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक गिर गए थे। लेकिन रुई के दाम कम होने का उपभोक्ताओं को जरा भी फायदा नहीं हुआ। इस का साफ मतलब है कि दो वर्षो के अन्दर रुई उत्पादकों की जेब से तकरीबन 400 करोड़ रुपया निकल गया और मिल-मालिकों, चोरबाजारी करने वाले लोगों, नौकरशाहों और मंत्रियों, इन लोगों के हाथों में चला गया।

अध्यक्ष महोदय, मिलों के मुनाफ़ों के कुछ आंकड़े मैं पेश करता हूं, जिन से आप

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 24th July 1973.